न्यायालय सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, एफ.टी.सी.–2 कन्नौज

प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या –504/2026

रूचीपाल बनाम प्रवीन कुमार।

थाना कन्नौज, जनपद कन्नौज।

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस का निस्तारण।</u>

<u>दिनांक–04.05.2026</u>

1. पत्रावली पेश हुई। आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली का अवलोकन किया।

2. आवेदिका की ओर से यह प्रकीर्ण आवेदन प्रस्तुत करते हुये कथन किया है कि प्रार्थिनी की शादी दिनांक 24.02.2026 को प्रवीन कुमार पाल के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार सम्पन्न हुई थी। शादी मे दिये गये दान उपहार को कबाड़ (भंगार) बताकर ताना मारते थे और दिये गये दान उपहार से खुश नहीं थे और अतिरिक्त दहेज मे पाँच लाख रूपये नकद एवं एक मोटरसाइकिल की मांग को लेकर पति प्रवीन कुमार पाल, ससुर सन्तोष पाल, सास तारावती, जेठ नवीन व लल्लू, जेठानी रश्मी व श्रीमती सुधा मारपीट करके शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित करते थे और प्रवीन की दूसरी शादी करने की धमकी देते थे। दिनांक 24.04.2026 को समय 7 बजे शाम को पति प्रवीन, ससुर सन्तोष पाल सास तारावती जेठ नवीन व लल्लू तथा जेठानी रश्मी व सुधा ने एकराय होकर प्रार्थिनी को अतिरिक्त दहेज की मांग की मना करने पर माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ देकर जेवर कपड़ा छीनकर मात्र पहने हुए कपड़ो मे घर से धक्का मारकर जबरन निकाल दिया और जान से मारने की धमकी दी। प्रार्थिनी ने अपने परिजनों को सूचना की और डॉयल 112 पुलिस से सहायता की मांग की तब प्रार्थिनी वमुश्किल अपने घर पहुँच सकी ओर ससुरालीजनो से काफी भयभीत है। प्रार्थिनी ने थाने पर जाकर लिखित प्रार्थना पत्र दिया लेकिन रिपोर्ट दर्ज नही की गई। मजबूरन घटना के वावत पुलिस अधीक्षक कन्नौज को घटना से जरिये पंजीकृत डाक अवगत कराया फिर भी कोई कार्यवाही नही हुई तब मा० न्यायालय की शरण में आयी हूँ। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि प्रार्थिनी के साथ शादी के मात्र दो माह के अन्दर ही घटित घटना के वावत प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखकर उचित कार्यवाही हेतु एस०एच०ओ० कन्नौज को आदेशित करने की कृपा करे।

3. उपरोक्त आवेदन पर संबंधित थाने से आख्या आहूत की गयी, जिसके अनुसार प्रस्तुत मामले में थाना हाजा पर कोई मुकदमा पंजीकृत नहीं है।

4. न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त प्रपत्रों एंव थाने की आख्या का अवलोकन किया गया।

5. उल्लेखनीय है कि प्रार्थिनी की शादी आलोक कुमार के साथ हिन्दू रीति रिवाज के अनुसार दिंनाक 24.02.2026 होने का कथन किया है। शादी के बाद अतिरिक्त दहेज मे एक मोटरसाइकल व पांच लाख की माँग पति व ससुरालीजन किये जाने का आरोप लगाया गया है। साथ ही कथन किया है कि उसके ससुरलीजन ने दिंनाक 24.04.2026 को सुबह 07.00 बजे मारपीट घर से निकाल दिया। उल्लेखनीय है कि मुख्य रूप से घटना दिनांक 24.04.2026 की बतायी है और पुलिस अधीक्षक को प्रेषित करने की तारीख 18.05.2026 है। इस बीच हुये विलम्ब को बताने में प्रार्थिनी कोई संतोषजनक उत्तर नहीं दे सकी। साथ ही प्रार्थिनी द्वारा कथित मारपीट के संबंध में कोई चिकित्सीय प्रपत्र दाखिल नहीं किया है। प्रार्थिनी की शादी के दो महीने बाद ही इस प्रकार की घटना कारित होना मामले को संदिग्द बनाता है।

Digitally signed by Ankit Kaushik
Date: 2026.06.18 12:14:02 IST
Reason: Document Owner
Location: CJJD-FTC-2kannauj

मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिनी द्वारा न्यायालय से कुछ आवश्यक तथ्यों को छिपाया जा रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थिया स्वच्छ हाथों से न्यायालय नहीं आयी है।

6. प्रियंका श्रीवास्तव बनाम उ०प्र० राज्य (2015) 6 एस०सी०सी० 287 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि व्यवस्था प्रतिपादित करते हुए कहा गया है कि पक्षकार को न्यायालय में स्वच्छ हाथों से आना होगा। न्यायालय का यह दायित्व है कि उन वादकारियों के हितों का संरक्षण करे जो स्वच्छ हाथों से न्यायालय में आते हैं। न्यायालय का यह भी दायित्व है कि ऐसे व्यक्ति जो न्यायालय में स्वच्छ हाथों से नहीं आते हैं और न्यायिक प्रक्रिया का दुरूपयोग करते हैं, उन्हें न्यायिक प्रक्रिया के दुरूपयोग से रोका जाए। न्यायालय का यह भी दायित्व है कि प्रार्थनापत्र में उल्लिखित कथनों के संदर्भ में सावधान रहें और आदेश पारित करते समय मस्तिष्क का प्रयोग करें।

उपरोक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय के मतानुसार प्रार्थना–पत्र निरस्त होने योग्य है।

आदेश

आवेदिका द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 173(4)बी.एन.एस.एस उपरोक्तानुसार निरस्त किया जाता है।

(अंकित कौशिक),

सिविल जज (जू०डि०)/न्यायिक मजिस्ट्रेट,
एफ.टी.सी.-2 जनपद, कन्नौज।
J.O.CODE-UP4659